न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/120 दायरा दिनांक : 21.07.2023

उनवान

1– कैलाशचन्द पुत्र गोकुल, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ़, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
2– मनोहर पुत्र गोकुल, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ़, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
3– रमेश पुत्र गोकुल, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ़, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
4– मेहताब पुत्र जगन्नाथ, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ़, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0
5– बादाम बाई पत्नी कैलाशचन्द, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ़, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0 .... अपीलांट

बनाम

मांगीबाई पुत्री कंवरलाल, जाति दांगी, निवासी हिम्मतगढ़, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अशोक कुमार चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या– 70/2021 निर्णय दिनांक 27.10.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम फतेहगढ़ प. ह. फतेहगढ़, तहसील पिडावा की आराजी खाता सं. 317 के खसरा नं. 292/1090 हेक्टर (1 बीघा 13 बिस्वा) प्रार्थिया के शामलाती खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2021 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट (प्रार्थिया) ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम हिम्मतगढ़, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 292/1090 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी नं. 1227/292 के बाबत रास्ते का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें अपीलांट्स (अप्रार्थीगण)

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की तामील भी नहीं हुए एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया द्वारा अपीलांट नं. 4 व 5 की आराजी खसरा नं. 328, खसरा नं. 329 में से रास्ता भी नहीं मांगा एवं पक्षकार भी नहीं बनाया गया उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता देने के आदेश कर दिये हैं।

पटवारी साहब अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में रेस्पोडेंट (प्रार्थिया) को रास्ता दिलवाने के लिए मौके पर आये, पटवारी साहब द्वारा बताने पर अपीलांट्स की जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स की आराजी में रेस्पोडेंट (प्रार्थिया) को रास्ता दिलाये जाने के आदेश फरमाये हैं। अपीलांट्स ने पटवारी को रास्ता दिलवाने से मना किया कि हमें न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं है हम इस निर्णय की अपील करेंगे, जिस पर अपीलांट्स ने पिडावा आकर वकील साहब से सम्पर्क किया वकील साहब ने अदालत में जाकर पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला कि दिनांक 27.10.2021 को रास्ता दिलाये जाने का निर्णय कर दिया है। जिस कारण दिनांक 07.11.2022 को ही नकल दरखास्त दी गई तथा नकल दिनांक 07.11.2022 को प्राप्त हुई तथा रूपयों का इंतजाम कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश की जा रही है। जो अन्दर मियाद मानी जावे। प्रार्थना पत्र मियाद कानून पृथक से मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 96 जा. दी. पेश कर कथन किया कि अपीलांट्स नं. 1 लगायत 3 के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के यहां धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें दिनांक 27.10.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलांट नं. 4 व 5 को पक्षकार नहीं बनाया गया और अपीलांट्स नं. 4 व 5 की आराजी खसरा नं. 328, खसरा नं. 329 में से रास्ता भी नहीं मांगा एवं पक्षकार भी नहीं बनाया गया उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता देने के आदेश कर दिये हैं जिस कारण अपीलांट नं. 4 व 5 को अपील पेश करना आवश्यक हो गया है।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की तलबी नहीं हुई है, अपीलांट को बिना सुनवाइ, बिना तामील के निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट नं. 4 व 5 की आराजी में रास्ता मांगे बिना ही रास्ता दे दिया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में रिपोर्ट मंगवाकर डी.एल.सी. दर के आधार पर रास्ता दिया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमें न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अपीलांट 1 लगायत 3 को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त पक्षकारान के सम्मन तामील हुए बिना ही निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलांट कम 4 व 5 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकार बनाये बिना ही उसकी आराजी में से रास्ता कायम कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 17.09.2021 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हुआ तथा दिनांक 27.10.2021 को बिना प्रतिवादीगण की तलबी किये तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम कर दिया गया। दो अपीलांट मेहताब तथा बादाम बाई को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना ही उनकी आराजी में से रास्ता कायम कर दिया गया। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया गया है। मौका रिपोर्ट में भी प्रतिवादीगण को अनुपस्थित दर्शा दिया गया जबकि उन्हें सूचना का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण, विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के सरासर विपरीत होने से अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.09.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/07/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा